R-130-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../............../.........................

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार – श्री आनंद सिंह ठाकुर जाति गौड़ उम्र 29 वर्ष पिता स्व.श्री मदन सिंह ठाकुर निवासी म.नं. 309 त्रिपुरी वार्ड भैरव नगर मेडिकल कॉलेज के पास जबलपुर

विरूद्ध –

अनावेदक – 1. राजेश सिंह 2. शैलेष सिंह 3. ऋषभ दीक्षित

4. कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **233/अ–21/2013–14** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 01/02/2016 एवं 25/04/2016 से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक आदिवासी आनंद सिंह ठाकुर उम्र 29 वर्ष पिता स्व.श्री मदन सिंह ठाकुर निवासी म.नं. 309 त्रिपुरी वार्ड भैरव नगर मेडिकल कॉलेज के पास जबलपुर द्वारा ग्राम हर्राटिकुर प.ह.नं. 21 नया 44 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 374/2, 375, 381 रकवा 0.800, 1.160, 5.040 हे. कुल रकवा 7.00 हेक्टे. (17 एकड़ 50 डिसमिल) भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (1) श्री राजेश सिंह उम्र 48 वर्ष पिता श्री गुलाब सिंह निवासी रवि किरण सोसायटी 1234 स्टेट बैंक डबल स्टोरी बल्देवबाग तहसील व जिला जबलपुर (2) श्री शैलेष सिंह पिता गुलाब सिह निवासी म. नं 1235 विजय नगर जे.डी.ए.स्कीम नं. 5 विनय डेरी के पास जबलपुर (3) श्री ऋषभ दीक्षित पिता श्री आर.आर. दीक्षित निवासी 462 रेल्वे क्रासिंग गुलौआ ताल गढ़ा जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** चाही गई थी।

3- प्रकरण में तहसीलदार कुण्डम द्वारा प्रकरण क्रमांक **19/अ–21/13–14** में प्रतिवेदन दि. 08/12/2015 में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 4.58 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित एक फसली है और आवेदित भूमि निस्तार पत्रक/वाजिब उल अर्ज में दर्ज नहीं है। संलग्न पटवारी प्रतिवेदन की कंडिका (8) में लेख है कि अनुमति दिये जाने से आवेदक के आर्थिक हितों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

R 130-I/17 [illegible]

22.2.18	शासकीय उ. अधि. श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी के निवेदन पर प्रकरण नोलप्रेस में समाप्त किया जाता है। आरोपी 4 माह की जेल अवधि पहले ही भुगत चुका। प्रकरण आफिस रिकार्ड हो।

प्रसहाय